प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बासठ'

[18/3/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 5722]

विधानसभा अतारांकित प्र.क्र. 5722 परिशिष्ट - "अ"

मध्यप्रदेश नगरपालिका (लोक सभा के सदस्यों, विधान सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा प्रतिनिधियों का नाम निर्देशन) नियम, 2000

क्र. 28-अठारह-3-2000, दि. 27 दिसंबर, 2000[1] -- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (1) के परन्तुक और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 के साथ पठित धारा 19 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम *मध्यप्रदेश नगरपालिका (लोक सभा के सदस्यों, विधान सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा प्रतिनिधियों का नाम निर्देशन) नियम, 2000 है।

(2) ये "मध्यप्रदेश राजपत्र" में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं -- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) **"नगरपालिका"** से अभिप्रेत है, यथास्थिति, मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 7 के अधीन गठित कोई नगरपालिका निगम या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 के अधीन गठित कोई नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत;

(ख) **"लोकसभा, विधानसभा तथा राज्य सभा के सदस्य"** से अभिप्रेत है यथास्थिति, मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) तथा (ङ) या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) तथा (ङ) में वर्णित लोक सभा के सदस्य, राज्य विधान सभा के सदस्य तथा राज्य सभा के सदस्य;

(ग) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्द का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

3. लोक सभा सदस्यों, विधान सभा सदस्यों तथा राज्य सभा सदस्यों द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले प्रतिनिधियों के लिए अर्हताएं --

लोक सभा के सदस्यों, राज्य विधान सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा सदस्यों द्वारा यथास्थिति निगम या परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए ऐसे व्यक्तियों को अपने प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्देशित किया जा सकेगा, जो-

(क) किसी नगरपालिक निगम के मामले में मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 16 में पार्षदों के निर्वाचन के लिए वर्णित अर्हताएं रखते हों और धारा 17 में वर्णित निरर्हताओं के अधीन न आते हों;

(ख) किसी नगरपालिका परिषद् तथा नगर पंचायत के मामले में, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 34 में पार्षदों के निर्वाचन के लिए वर्णित अर्हताएं रखते हों और धारा 35 में वर्णित निरर्हताओं के अधीन न आते हों;

परन्तु नामांकित किये जाने के पश्चात् यदि यह पाया जाता है कि ऐसा व्यक्ति नामांकन के लिए पात्रता नहीं रखता था तब उसका नामांकन स्वयंमेव समाप्त होना समझा जावेगा।

अशोक शर्मा
उप संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

1. म.प्र. राजपत्र भाग 2 दिनांक 12-1-2001 पृष्ठ 3-4 पर प्रकाशित।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

वि. स. अतारांकित प्र. क्र. 5722 परिशिष्ट - "ब"

दिग्विजय सिंह
संसद सदस्य - राज्य सभा

सत्यमेव जयते

बी-1, श्यामला हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
फोन : 0755-2661500, 2661550, 2441788

64, लोधी ईस्टेट, नई दिल्ली
फोन: 011-23019373 (का.), 24628655 (नि.)

ई-मेल : info@digvijayasingh.in
dvsofficebhopal@gmail.com

क्रमांक 64 /2015
दिनांक 24/09 /2015

प्रति,

कलेक्टर
जिला राजगढ़ म.प्र.

विषयः-- राज्यसभा सांसद प्रतिनिधी नियुक्त किये जाने वावत्।

मैं अपनी ओर से प्रदीप सदानी पुत्र श्री नारायणदास सदानी निवासी सारंगपुर जिला राजगढ़ को नगर पालिका सारंगपुर में राज्यसभा सांसद प्रतिनिधी नियुक्त करता हूँ।

अतएव मेरा आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषय पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सादर।

आपका

(दिग्विजय सिंह)

प्रतिलिपिः--(1) मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका सारंगपुर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

(2) प्रदीप सदानी पुत्र श्री नारायणदास सदानी निवासी सारंगपुर जिला राजगढ़ की ओर पालनार्थ।

(दिग्विजय सिंह)

अशोक शर्मा
उप संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

वि. स. अतारांकित प्र. क्र. 5722 परिशिष्ट - "ब"

कार्यालय कलेक्टर (शहरी विकास) जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म०प्र०

क्रमांक/ 684 /डूडा/2015

राजगढ़ दिनांक/ 5 /10/2015

प्रति,

मान. श्री दिग्विजय सिंह,

संसद सदस्य - राज्य सभा

64, लोधी स्टेट नई दिल्ली

विषय :- राज्यसभा प्रतिनिधि नियुक्त किये जाने बाबत् ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 64/2015 दिनांक 24.09.2015 ।

--:::00:::--

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा नगर पालिका परिषद सारंगपुर में राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु लेख किया गया है । इस संबंध में म.प्र. नगर पालिका (लोकसभा के सदस्यों, विधानसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा प्रतिनिधियों का नाम निर्देशन) नियम 2000 में उल्लेखित है कि परिषद के सम्मेलन में माननीय राज्यसभा सांसद उसी निकाय में अपना प्रतिनिधि नाम निर्देशित कर सकते है, जहॉं की मतदाता सूची में उनका नाम अंकित हैं ।

अतः उपरोक्तानुसार नियम 2000 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

परियोजना अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण
जिला राजगढ़ {ब्यावरा} म.प्र.

अशोक शर्मा
उप संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक/ 685 /डूडा/2015

राजगढ़ दिनांक/ 5/10/2015

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद सारंगपुर जिला राजगढ़ की ओर सूचनार्थ ।
2. श्री प्रदीप सादनी पुत्र श्री नारायणदास सादनी निवासी सारंगपुर जिला राजगढ़ की ओर सूचनार्थ ।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

परियोजना अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण
जिला राजगढ़ {ब्यावरा} म.प्र.

Letter-7